

PUBLIC NOTICE

**Directorate of Town and Country Planning Department, Haryana
SCO 71-75, Sec-17C, Chandigarh-160017 Website: www.tcpharyana.gov.in
Phone: 172-2548475; email: tcpharyana7@gmail.com**

Kind Attention: This advertisement is only for the identified and approved beneficiaries of Affordable Housing Policy (AHP) of PMAY-U.

Amendment in the Affordable Housing Policy-2013 published vide notification dated 19th August 2013 has been carried out on 09.07.2018. As per this amendment, PMAY beneficiaries, which include their spouse or depended children, identified by the Urban Local Bodies Department, Haryana under “Pradhan Mantri Aawas Yojna-Housing for All” programme shall be granted preference in allotment. First priority shall be given to the identified beneficiaries of the said town followed by other PMAY beneficiaries of the State of Haryana. The Town and Country Planning Department Haryana has identified all un-allotted housing stock available under affordable housing scheme in the state. The detail is as under:-

Sr. No.	District	Area (in acres)	Balance available stock
1	Gurugram	51.13875	1003
2	Sohna	9.4625	48
3	Faridabad	58.08219	2276
4	Sonipat	10	565
5	Panipat	12.814	345
6	Karnal	5.6534	82
7	Palwal	10	426
8	Panchkula	5.00	248
9	Yamuna Nagar	5.512	807
10	Rewari	11.01	1047
11	Nilokheri-Taraori	7.006	126
	Total	185.6788	6973

Notice is hereby given to invite applications from the identified and approved beneficiaries of Affordable Housing Policy (AHP) under PMAY-U. All these un-allotted houses are being made available to be allotted under the AHP of PMAY-U Scheme through draw. These dwelling units are under the status of constructed (ready to move in), under construction or proposed for construction. The status of un-allotted flats is available on the website of the Department. The application can be downloaded from the Department's website www.tcpharyana.gov.in and to be submitted in the Office of the concerned District Town Planner within three weeks from the date of publication of this advertisement.

For any query, please email at ID: tcpharyana7@gmail.com o/o Director of T&CP Department.

Date: 28.01.2019
Place: Chandigarh

-sd-
Director,
Town and Country Planning Department,
Haryana, Chandigarh

सार्वजनिक सूचना

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट निदेशालय, हरियाणा
एस0सी0ओ0 71-75, सैक्टर-17 सी, चण्डीगढ़-160017

वेबसाइट: www.tcpharyana.gov.in

फोन: 172-2548472 ईमेल : www.tcpharyana7@gmail.com

कृपया ध्यान दे:

यह विज्ञापन केवल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत चिन्हित और स्वीकृत लाभार्थियों के लिए है।

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2013 में संशोधन 19 अगस्त, 2013 को प्रकाशित अधिसूचना की अधिसूचना दिनांक 09.07.2018 को किया गया है। इस संशोधन के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जिनमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा “प्रधानमंत्री आवास योजना – सभी के लिए आवास” कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए लाभार्थी, उनके पति या पत्नी या उनके आश्रित बच्चे शामिल हैं, को आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा राज्य के निम्न वर्णित शहरों के चिन्हित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पहली प्राथमिकता दी जाएगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा ने राज्य में अफोर्डेबल आवास योजना के तहत उपलब्ध सभी आवंटित आवास स्टॉक की पहचान की है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	जिला	क्षेत्र एकड़ में	उपलब्ध स्टॉक
1	गुरुग्राम	51.13875	1003
2	सोहना	9.4625	48
3	फरीदाबाद	58.08219	2276
4	सोनीपत	10	565
5	पानीपत	12.814	345
6	करनाल	5.6534	82
7	पलवल	10	426
8	पंचकुला	5.00	248
9	यमुनानगर	5.512	807
10	रेवाड़ी	11.01	1047
11	निलोखेड़ी-तरावडी	7.006	126
	कुल योग	185.6788	6973

यह नोटिस प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के चिन्हित और स्वीकृत लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिया गया है। इन सभी को आवंटित आवासों को ड्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आवंटित करने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ये आवास इकाइयां निर्माण की स्थिति (निर्माण में तैयार), निर्माणाधीन या निर्माण के लिए प्रस्तावित, की स्थिति में हैं। आवंटित होने वाले फ्लैटों की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र निदेशालय की वेबसाइट www.tcpharyana.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है और इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर संबंधित नगर योजनाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया इस आईडी पर ईमेल करें: www.tcpharyana7@gmail.com

दिनांक: 28.01.2019

स्थान: चण्डीगढ़

निदेशक
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट,
हरियाणा, चण्डीगढ़